कमांक 62/24/2016–6जी0एस01

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला, करनाल, हिसार, गुडगांव, फरीदाबाद तथा रोहतक मंडल के आयुक्त तथा सभी जिलों के उपायुक्त।
2. रजिस्ट्रार, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़।
3. सभी उप–मण्डल अधिकारी।
4. सभी जिला एंव सत्र न्यायाधीश, हरियाणा।
5. सभी बोर्डो/निगमों के प्रबंधक निदेशक।
6. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

दिनांक, चंढीगढ 1 फरवरी, 2018

विषय हरियाणा राज्य में हिन्दी भाषा का प्रचलन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार द्वारा जारी हिदायतें कमांक 12/45/93–6जी0एस01, दिनांक 25–5–1993 एवं 62/37/98–6जी0एस01, दिनांक 6.10.1999 की ओर आकर्षित करूं जिसके माध्यम से यह निर्देश दिये गये थे कि भविष्य में सभी प्रशासनिक विभाग राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही सरकारी टिप्पणियां व पत्राचार करें। अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन कानूनी मामलों में किया जाए जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय से संबंधित हो। इसी प्रकार भारत सरकार या दूसरे राज्यों से भी पत्राचार हिन्दी में ही किया जाए, परन्तु यदि अत्यावश्यक हो तो एक अंग्रेजी रूपान्तरण साथ में भेजा जाए। इसके अतिरिक्त हिदायतें कमांक 62/24/2016–6जी0एस01, दिनांक 8.6.2016 द्वारा सभी विभागों/उपायुक्तों/बोर्डो/निगमों आदि को यह निर्देश भी जारी किए गए थे कि उनके विभागीय प्रयोग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट अनुवाद करवाएं व अपनी विभागीय website पर उपलब्ध करवाना अपने स्तर पर सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को इन्हें समझने में परेशानी न हो।

2. सरकार के ध्यान में लाया गया है कि इन हिदायतों की पालना भली भांति नहीं की जा रही है तथा अधिकतर विभाग अपना कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में ही करतें हैं। अतः पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि सभी विभाग राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही सरकारी टिप्पणियां व पत्राचार करें। अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन कानूनी मामलों में किया जाए जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय से संबंधित हो। आम जनता से पत्राचार हिन्दी भाषा में ही किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी विभाग उनके विभागीय प्रयोग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेजी दोनो भाषाओं में स्पष्ट अनुवाद करवाने व अपनी विभागीय website पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

3. इन निर्देशों की कड़ाई से पालना करने हेतु सरकार के सख्त आदेश हैं।

अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव।

अशा.कमांक 62/24/2016–6जी0एस01 दिनांक, चंढीगढ 1 फरवरी, 2018